न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

विशेष सत्र वाद संख्या–241/2018

राज्य बनाम वीरू उर्फ वीरपाल आदि

अपराध संख्या–186/2018

धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

व 3(1)(d) एस०सी०/एस०टी०

थाना–शिवराजपुर, कानपुर नगर

दिनांक–27.05.2026

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं। पत्रावली प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित–10.06.2019 अन्तर्गत धारा–239/245/227 दं०प्र०सं० पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–वीरू उर्फ वीरपाल सिंह, राजू सिंह, गुड्डू सिह, सरोज सिंह, राजन सिंह, मुन्ना सिंह, मुक्की व छुनान सिंह की ओर से इस कथन के साथ उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। चचेरे भाई हैं। प्रार्थीगण अपना ट्रैक्टर वादी मुकदमा के घर के सामने से निकली सड़क पर से निकालते हैं, जिस पर वादी मुकदमा अवैध कब्जा किये हुए हैं। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जे के लिए मना किया गया था तथा एस०डी०एम० बिल्हौर, कानपुर नगर को अवैध कब्जे के सम्बन्ध में वादी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर वादी मुकदमा द्वारा क्षेत्रीय थाने में प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर दिया गया था, जिस पर क्षेत्रीय पुलिस द्वारा धारा–151 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही प्रार्थीगण पर की गयी थी, किन्तु क्षेत्रीय पुलिस द्वारा दिनांक–08.11.2018 को उपरोक्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया तथा बिना कोई गवाही या घटना स्थल पर पहुंचे ही उपरोक्त मुकदमें में दिनांक–16.11.2018 को उपरोक्त चार्जशीट श्रीमानजी के समक्ष दाखिल कर दी, जो कि निराधार है। कोई भी पब्लिक का गवाह नहीं है। सिविल नेचर का केस है, क्योंकि वादी मुकदमा आज भी सड़क पर कब्जा किये हुए है। प्रार्थीगण को कोई भी चार्ज मेडआउट नहीं हो रहा है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उन्हें उन्मोचित करने की याचना की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी मुकदमा नारेन्द्र की ओर से इस आशय की लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक–07.11.2018 को समय लगभग 9:00 बजे पड़ोस के ही रहने वाले वीरू उर्फ वीरपाल सिंह, राजू उर्फ विनोद, गुड्डू उर्फ मनोज कुमार सिंह, सरोज सिंह, राजन सिंह, मुक्की दिनेश उर्फ मुन्ना वादी के घर के सामने जुआ खेलते हुए गाली–गलौज कर रहे थे। वादी द्वारा उक्त लोगों को जुआं खेलने से मना करने पर उक्त सभी अभियुक्तगण एकराय होकर उसके व उसके भाई रंजीत, बलजीत, बहन मोनी, गुडिया, भाभी नेहा तथा चचेरे भाई छोटे लाल के साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की तथा जान से मारने

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.05.27 15:41:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की धमकी दी। वादी ने रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस द्वारा सभी मुल्जिमानों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गयो तथा न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किये गये। अभियुक्तगण द्वारा उक्त सम्मन आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिनांक–08.05.2019 को आदेश पारित किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन आदेश को बरकरार रखते हुए अभियुक्तगण को धारा–239/245/227 दं०प्र०सं० के तहत चार सप्ताह के भीतर डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा उस प्रार्थना पत्र पर 6 सप्ताह के अन्दर निर्णय किये जाने का भी आदेश पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित–08.05.2019 के बावजूद उक्त डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक–10.06.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर करीब 7 साल बीत जान के बाद भी कोई निर्णय नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन व परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा नारेन्द्र द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या–186/2018 अंतर्गत धारा–147, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्वेषण के क्रम में विवेचनाधिकारी द्वारा मुकदमा वादी नारेन्द्र कुरील का बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें वादी मुकदमा के द्वारा तहरीर में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया गया है तथा इस आशय का कथन किया गया है कि दिनांक–07.11.2019 को समय करीब 9:00 बजे रात में वह अपने घर पर लेटा था। उसी समय उसके पड़ोस में वीरू उर्फ वीरपाल सिंह, मुन्ना उर्फ शिवप्रताप सिंह, मुक्की सिंह, दिनेश सिंह उर्फ छुनान सिंह, राजू उर्फ विनोद सिंह, गुड्डन सिंह उर्फ मनोज कुमार, सरोज सिंह व राजन सिंह जुआं खेल रहे थे और शराब के नशे में गाली–गलौज भी कर रहे थे। वादी ने जुआं खेलने से मना किया तो वीरू उर्फ वीरपाल व मुक्की सिंह जाति सूचक गालियां देने लगे और वादी के पिता रमेश कुरील के साथ मारपीट करने लगे। तभी पीछे से मुन्ना सिंह उर्फ शिवप्रताप सिंह, दिनेश सिंह उर्फ छुनान सिंह, राजू सिंह उर्फ विनोद, गुड्डू सिंह उर्फ मनोज कुमार व सरोज सिंह, एक राय होकर अपने–अपने हाथों में लाठी–डण्डों से वादी एवं उसके भाई रंजीत, बलजीत, पिता–रमेश, बहन मौनी उर्फ रेखा, गुड़िया, भाभी नेहा व छोटे लाल उर्फ यश कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। वादी के चिल्लाने पर गांव के कई लोगों के आ जाने पर, उक्त सभी लोग जाति सूचक गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इस प्रकार वादी मुकदमा के उक्त आशय के कथनों से प्रकरण में अभियुक्तगण की सक्रिय संलिप्तता का बिन्दु प्रथम दृष्टया दर्शित होता है तथा वादी मुकदमा के उक्त आशय के कथनों से अभियोजन कथानक को समर्थन भी प्राप्त होता है। अन्वेषण के दौरान उक्त कथित घटना के मजरूब साक्षीगण रंजीत कुमार कुरील, बलजीत कुरील व कु० मौनी उर्फ नेहा के भी बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित किये गये है तथा उक्त साक्षीगण द्वारा भी प्रकरण से सम्बन्धित अभिकथित घटना के घटित होने एवं घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता के तथ्यों के सापेक्ष समर्थनकारी

कथन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विवेचक के द्वारा अन्य साक्षीगण कु० गुड़िया कुरील व श्री रामकेश के भी बयान अंकित किये गये हैं, जिन्होंने भी अभियोजन कथानक का प्रायः समर्थन किया है।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन व परिशीलन से प्रकट होता है कि अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्यों व पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित कर विचारण किये जाने का पर्याप्त आधार परिलक्षित होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था–**2014 (84) ए सी सी 656 STATE OF TAMILNADU BY INS.OF POLICE VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION VERSUS N.SURESH RAJAN & ORS** जिसमें विधि व्यवस्था–**Sheoraj Singh Ahlawat & Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Anr., AIR 2013 SC 52 एवं Onkar Nath Mishra v. State (NCT of Delhi), (2008) 2 SCC 561:** का भी संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि– "True it is that at the time of consideration of the applications for discharge, the court cannot act as a mouthpiece of the prosecution or act as a post office and may sift evidence in order to find out whether or not the allegations made are groundless so as to pass an order of discharge. It is trite that at the stage of consideration of an application for discharge, the court has to proceed with an assumption that the materials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging therefrom taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At this stage, probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction. In our opinion, what needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out. To put it differently, if the court thinks that the accused might have committed the offence on the basis of the materials on record on its probative 2 Page 27 value, it can frame the charge; though for conviction, the court has to come to the conclusion that the accused has committed the offence. The law does not permit a mini trial at this stage.

तद्नुसार आरोप के प्रस्तर पर मात्र यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर यह नहीं देखा जाना है कि दोषसिद्धि हो सकती है अथवा नहीं। साथ ही इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री व साक्ष्यों का मूल्यांकन व परीक्षण इस प्रकार से व इतनी गहराई से किया जाना अपेक्षित नहीं है, जितनी विचारण के पश्चात प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के समय अपेक्षित है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के क्रम में वादी मुकदमा एवं सम्बन्धित मजरूब व अन्य गवाहान के बयान अंकित किय गये हैं तथा अभिलेखीय/चिकित्सकीय साक्ष्य एकत्रित कर, अभियुक्तगण वीरू उर्फ

वीरपाल सिंह, मुन्ना उर्फ शिवप्रताप सिंह, मुक्की सिंह, दिनेश सिंह उर्फ छुन्ना सिंह, राजू सिंह उर्फ विनोद सिंह, गुड्डू सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह, सरोज सिंह व राजन सिंह के विरूद्ध धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)द एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा भी विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों व प्रपत्रों का अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाते हुए आदेश दिनांकित– 17.12.2018 के माध्यम से प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया है। तद्नुसार उक्त समग्र तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन व विश्लेषण के आधार पर इस स्तर पर अभियुक्तगण वीरू उर्फ वीरपाल सिंह, मुन्ना उर्फ शिवप्रताप सिंह, मुक्की सिंह, दिनेश सिंह उर्फ छुन्ना सिंह, राजू सिंह उर्फ विनोद सिंह, गुड्डू सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह, सरोज सिंह व राजन सिंह के विरूद्ध धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)द एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता परिलक्षित होता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है तथा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–239/245/227 दं०प्र०सं० दिनांकित 10.06.2019 निरस्त किया जाता है। नियत तिथि पर समस्त अभियुक्तगण विधि–अनुसार अवश्य उपस्थित हों।पत्रावली दिनांक–18.06.2026 को अग्रेतर कार्यवाही/आरोप हेतु पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।